न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, नैंनवां, जिला बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : **डॉ0 दुडा राम खोकर, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र सं. : 41/2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. : 27/2026 थाना देई, जिला बूंदी

(Cr. Reg.No. 80/26, बउनवान सरकार/बंटी उर्फ गोटया)

धारा 4/25 आयुध अधिनियम

बंटी उर्फ गोटया पुत्र छोटूलाल, आयु 28 वर्ष,
निवासी–माताजी का झोपड़ा, देई, थाना देई जिला बूंदी (राज0)

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य ..... अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 B.N.S.S.

उपस्थितः–

1. श्री रामबिलास साहू, विद्वान् अधिवक्ता – अभियुक्त की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी, विद्वान् अपर लोक अभियोजक – वास्ते राज्य।

–: आदेश :– **दिनांक : 16/03/2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त **बन्टी उर्फ गोटया** की ओर से यह जमानत का आवेदन पत्र धारा 483 B.N.S.S. इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो आरक्षी केन्द्र, **देई** के अभियोग संख्या **27/2026** (फौजदारी नियमित प्र0 सं0 80/2026 राज्य बनाम बन्टी उर्फ गोटया) अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बद्ध है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है, उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 B.N.S.S. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां जिला बूंदी के आदेश दिनांक 28/01/2026 से खारिज किया जा चुका है।

3. अभियोजन कहानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.01.26 को हेमराज हेड कानि. ने मय माल व मुलजिम के वापसी थाना पर एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवायी कि दिनांक 23.01.2026 को मन हैमराज हैडकानि. मय जाप्ता, मय जीप सरकारी के मय अनुसंधान बोक्स मय प्राईवेट लेपटोप प्रिन्टर के वास्ते अवैध कार्यों की चौंकिग हेतु कस्बा देई व इलाका थाना हाजा मे थाने से रवाना होकर गश्त कस्बा देई, बस स्टैन्ड देई, विवेकानन्द सर्किल करता हुआ बांसी रोड खाटूश्यामजी मन्दिर के सामने पहुंचा। जहां पर जर्ये मुखबिर सूचना मिली कि देवरिया मोड गौशाला के पास एक व्यक्ति जिसने

नीली जींस सफेद कलर की छफोलादार शर्ट पहने हुए खडा है, जिसके पास धारदार लोहे की तलवार है, जो कोई भी अप्रिय घटना कर सकता है। सूचना मुखबीर खास होने से उक्त सुचना से हमराही जाप्ते को अवगत करवाकर रवाना होकर देवरिया मोड गौशाला के पास देई पहुंचा। जहां पर उक्त हुलिए का व्यक्ति पुलिस को बावर्दी देखकर छिपने की कोशिश करने लगा। जिसको हमराही जाप्ते की मदद से डिटेन कर पकडा व नाम पता पूछा तो अपना नाम बन्टी उर्फ गोटया पुत्र छोटूलाल बताया। जिसकी तलाशी हेतु हमराही जाप्ता मे से श्री शंकरलाल व श्री रामअवतार कानि. को गवाह मामूर कर उक्त व्यक्ति को चैक किया तो जींस में पीछे एक धारदार लोहे की तलवार मिली, जिसका नाप किया तो फल की लम्बाई 34 सेमी व लोहे के हत्थे की लम्बाई 11 सेमी व फल की चौडाई तलवार के बीच में से 3.5 सेन्टीमीटर है। जिसकी कुल लम्बाई 45 सेमी है। उक्त तलवार राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित सीमा 10.16 सेमी. से बडा धारदार हथियार को अपने कब्जे में रखने बाबत अनुज्ञापत्र चाहा तो अपने पास कोई अनुज्ञापत्र नही होना बताया। जिस पर अवैध लोहे की तलवार को जब्त कर चिट चस्पा किया जाकर मार्क ए दिया गया। वापसी थाने पर उक्त अभियोग पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण विचारण न्यायालय में लम्बित है।

4. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। वह लगभग 01 माह 20 दिवस से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। वह न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके प्रस्तुत करने को तत्पर है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

5. इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दिये गये तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अभियुक्त **बंटी उर्फ गोटया** का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है –

क्रं.सं	मुकदमा नंबर	धारा	चार्जशीट नं. मय दिनांक	थाना	विवरण
1	241/2012	379 आईपीसी	180/12.07.12	थाना देई जिला बूंदी	...

2	383/2012	457, 384, 414 आईपीसी	261/30.09.12	थाना देई जिला बूंदी	दोषसिद्ध 31.01.17
3	117/13	379 आईपीसी	64/31.07.13	करवर जिला बूंदी	...
4	494/13	379 आईपीसी	374/31.12.13	हिण्डोली जिला बूंदी	...
5	397/14	452, 323, 34 आईपीसी	273/21.11.14	थाना देई जिला बूंदी	दोषमुक्त 08.08.20
6	10/15	457, 380 आईपीसी	03/29.01.15	थाना देई जिला बूंदी	दोषसिद्ध 26.06.15
7	61/16	4/25 आर्म्स एक्ट	35/13.03.16	थाना देई जिला बूंदी	दोषसिद्ध 28.06.19
8	95/17	19/54 एक्साईज एक्ट	78/24.04.17	थाना देई जिला बूंदी	दोषसिद्ध 18.05.19
9	236/17	4/25 आर्म्स एक्ट	192/28.09.17	थाना देई जिला बूंदी	दोषसिद्ध 16.05.19
10	237/18	4/25 आर्म्स एक्ट	174/31.10.18	थाना देई जिला बूंदी	दोषसिद्ध 15.05.19
11	54/19	452, 354 आईपीसी व 7/8 पोक्सो एक्ट	54/27.04.19	थाना देई जिला बूंदी	दोषसिद्ध 29.02.20
12	75/21	4/25 आर्म्स एक्ट	40/31.03.21	थाना देई जिला बूंदी	...
13	84/22	4/25 आर्म्स एक्ट	45/30.04.22	थाना देई जिला बूंदी	दोषसिद्ध 12.06.23
14	68/23	4/25 आर्म्स एक्ट	50/31.03.23	थाना देई जिला बूंदी	दोषसिद्ध 29.09.23
15	89/24	8/29 एनडीपीएस एक्ट	53/18.05.24	थाना देई जिला बूंदी	जैर ट्रायल
16	03/25	4/25 आर्म्स एक्ट	02/29.01.25	थाना देई जिला बूंदी	...

6. सुना गया। न्यायालय पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त को इस प्रकरण में दिनांक 23.01.2026 को गिरफ्तार किया गया है, तब से वह अभिरक्षा में चल रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड पेश किया गया है, जिसके अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में विभिन्न धाराओं में 16 प्रकरण दर्ज होना अंकित है, जिनमें से 05 प्रकरण, जो धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित है, उनमें दोषसिद्ध किया गया है एवं अन्य अपराध धाराओं से संबंधित 04 प्रकरणों में अभियुक्त को दोष सिद्ध किये जाने का अंकन है। अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त कारागृह से अपराध कारित करने के लिए ही निकलता है एवं उसे जमानत पर रिहा करने पर पुनः अपराध कारित करने का आदतन हो गया है। यह सही है कि प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण में 01 माह 20 दिन से अधिक समय से अभिरक्षा में चल रहा है, किन्तु लम्बे समय से अभिरक्षा में रहने मात्र से उसे

जमानत का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। प्रकरण के अन्य तथ्यों, परिस्थितियों व अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड पर भी न्यायालय को विचार करना होता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को पुनः अपराध करने से रोकने हेतु एवं उसके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की आपराधिक प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त **बन्टी उर्फ गोटया** की ओर से पेश **जमानत का प्रार्थना पत्र** अन्तर्गत धारा 483 BNSS अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(डॉ0 दुडा राम खोकर)
अपर सेशन न्यायाधीश,
नैनवां जिला बूंदी (राज0)

8. आदेश आज दिनांक 16/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 दुडा राम खोकर)
अपर सेशन न्यायाधीश,
नैनवां जिला बूंदी (राज0)